

# परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) निरसन अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 14)

[31 मार्च, 2005]

परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड  
(प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 का निरसन  
करने के लिए अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ब) में विनिर्दिष्ट तत्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “पीआईटीसीएल” कहा गया है) और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “डीजीपीएल” कहा गया है) और जिन्हें सामूहिक रूप से “उक्त कंपनियां” कहा गया है, के उपक्रमों का अर्जन करने का प्रस्ताव था जिससे कि उक्त कंपनियों की द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोलबंदी, परिवहन, विपणन वितरण के साधन और संसाधन राज्य में निहित हो जाएं और उनका ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

और उनके द्वारा की जा रही द्रवित पेट्रोलियम गैस की बोलबंदी, परिवहन, विपणन और वितरण के कारबार के राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिए उक्त कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन होने तक परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 (1979 का 29) द्वारा उक्त कंपनियों के उपक्रमों का प्रबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया था और उक्त उपक्रमों के अभिरक्षक के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को नियुक्त किया गया था;

और उक्त कंपनियों और उनके कतिपय शेयर धारकों द्वारा एक पक्षकार के रूप में और केन्द्रीय सरकार तथा अभिरक्षक द्वारा दूसरे पक्षकार के रूप में तारीख 11 अप्रैल, 2002 को किए गए समझौता ज्ञापन के निवंधनों के अनुसार, उक्त कंपनियों के उपक्रमों और कारबार को उनकी आस्तियों तथा संपत्तियों और अधिक विशिष्ट रूप से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में वर्णित आस्तियों और संपत्तियों सहित और उक्त समझौते के ज्ञापन में उपवर्णित रीति में, किंतु क्रमशः पीआईटीसीएल और डीजीपीएल द्वारा अभिग्रहण न की गई और वापस सौंपी गई अन्य आस्तियों पर विलेखों में उपवर्णित रीति में विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समनुदेशित, अंतरित और विनिहित करने के लिए क्रमशः पीआईटीसीएल और डीजीपीएल क बीच अभिरक्षक की मार्फत समनुदेशक के रूप में और केन्द्रीय सरकार की मार्फत समनुदेशीती के रूप में तारीख 2 अप्रैल, 2004 को दो पृथक् समनुदेशन विलेख निष्पादित किए गए थे और तारीख 2 अगस्त, 2004 को मुबार्ई स्थित आवश्वासन उपरजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकृत किए गए थे;

और उक्त समझौता ज्ञापन के निवंधनों में दो पृथक् समनुदेशक विलेख केन्द्रीय सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच उक्त कंपनियों के उपक्रम और कारबार को उनकी आस्तियों और संपत्तियों सहित, विलेखों में उपवर्णित रीति में और विचार करने के लिए क्रमशः पीआईटीसीएल और डीजीपीएल द्वारा अभिग्रहण न की गई और वापस सौंपी गई आस्तियों और संपत्तियों को अपवर्जित करते हुए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को समनुदेशित, अंतरित और विनिहित करते हुए तारीख 2 अप्रैल, 2004 को निष्पादित किए गए थे और 2 अगस्त, 2004 को मुबार्ई स्थित आश्वासन उपरजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत किए गए थे;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा और तत्पश्चात् हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त कंपनियों के उपक्रमों के समनुदेशन और अर्जन के उपर्युक्त विलेखों के निष्पादन के अनुसरण में उक्त अधिनियम का निरसन करना और तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसरण में नियुक्त अपने-अपने निदेशक के बोर्ड की मार्फत द्रवित पेट्रोलियम गैस से भिन्न उनके कारबार और आस्तियों की बाबत उक्त कंपनियों के प्रबंध में पुनःनिहित करना आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) निरसन अधिनियम, 2005 है।

**2. निरसन और व्यावृत्ति**—(1) परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 (1979 का 29) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 (1979 का 29) के निरसन पर, परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंध, ऐसे निरसन के पश्चात् नियुक्त किए जाने वाले उक्त कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड में निहित होगा और निहित किया गया समझा जाएगा तथा

उक्त कंपनी की ऐसी आस्तियों का जो द्रव पेट्रोलियम गैस से संबंधित कारबार से भिन्न उनके कारबार से संबंधित है और जिन्हें इस प्रकार निरसित अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है, उक्त कंपनियों द्वारा, उनके अपने-अपने निदेशक बोर्ड के माध्यम से, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नियुक्त किया जाए, ग्रहण किया गया समझा जाएगा और उसके पास बना रहा समझा जाएगा।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी और निरसनों के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परेल इनवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 (1979 का 29) के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अभिरक्षक द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत किया गया कोई करार भी है, प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसा प्रभाव रखेगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

---